

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक-29.03.2023

मुकदमा नम्बर 20/2023

1. सुलोचना पत्नी हीरालाल
2. कमल सिंह पुत्र हीरालाल
3. महेश कुमार पुत्र हीरालाल
4. भवानी सिंह पुत्र हीरालाल
5. विकास कुमार पुत्र हीरालाल समस्त जाति स्वामी निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।  
- वादीगण

**बनाम**

1. भंवरी देवी पुत्री गुल्लाराम
2. विमला देवी पुत्री गुल्लाराम
3. गोगा देवी पुत्री गुल्लाराम
4. विनोद देवी पुत्री गुल्लाराम
5. संतोष देवी पुत्री गुल्लाराम
6. मंजु देवी पुत्री गुल्लाराम समस्त जाति स्वामी निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. सुनिता पत्नी अनिल कुमार
8. कावेरी पुत्री अनिल कुमार
9. चैतन्य कुमार पुत्र अनिल कुमार नाबालिक जरिये कुदरती संरक्षिका माता सुनिता पत्नी अनील कुमार समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10. नितेश गुप्ता पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी भगतों की हवेली के सामने नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11. मुकेश चौखानी पुत्र मखनलाल चौखानी जाति महाजन निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़।
12. सुभाषचंद्र पाटोदिया पुत्र मंगतुराम पाटोदिया जाति महाजन निवासी पोदार गेट के पास, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री विप्लव पंडित

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

**दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती**

-:: निर्णय ::-

दिनांक-29.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में भूमि खाता संख्या 576 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 756 रकबा 0.96 है, खसरा नम्बर 762 रकबा 3.22 है, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.06 है कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 है में वादीगण प्रत्येक को 6739/184625+469/73825 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 586/36925+469/73850 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी रखा जावे तथा राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भूमि खाता संख्या 651 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.05 है भूमि में वादीगण प्रत्येक को 36/315-36/315 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 प्रत्येक को 9/126-9/126 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

—  
—  
—

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से कमल सिंह पुत्र हीरालाल, सलोचना पत्नी हीरालाल के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 2 नकल सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण, प्रदर्श 3 नकल सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2016-19, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2028-31, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2032-35, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत् 063-66, प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78, प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नारायणी देवी व ताजू देवी का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है जिसको दुरुस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 06 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

#### :: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद मे भूमि खाता संख्या 576 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 756 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 762 रकबा 3.22 है0, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 है0 में वादीगण प्रत्येक को 6739/184625+469/73825 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 586/36925+469/73850 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भूमि खाता संख्या 651 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.05 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 36/315-36/315 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 प्रत्येक को 9/126-9/126 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( हवाई सिंह यादव )

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 20/2023

( सुलोचना बनाम भंवरी देवी आदि )

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद मे भूमि खाता संख्या 576 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 756 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 762 रकबा 3.22 है0, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 है0 में वादीगण प्रत्येक को 6739/184625+469/73825 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 586/36925+469/73850 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भूमि खाता संख्या 651 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.05 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 36/315-36/315 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 प्रत्येक को 9/126-9/126 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00